न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 144 / 2013

श्रवण लाल वगै0 बनाम सुवा वगै0

दावा उदघोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र बाबत अबेट (उप समन) अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सहपठित 151 सी.पी.सी एवं
प्रार्थना पत्र कायम मुकाम।

1. श्री रविशंकर अग्रवाल अधिवक्ता प्रार्थी / प्रतिवादी।
2. श्री राकेश मोहन शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी / वादीगण।

निर्णय दिनांक 18-5-2022

वकील उभयपक्ष उप. 151 प्रार्थना पत्र बाबत उबल अबेट किये जाने दावा अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी पर वकील उभयपक्ष को सुना गया । वकील प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र के संबंध मे निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 6 किशना की दिनांक 25.11.2011, प्रतिवादी संख्या 7 जगनाथ की दिनांक 28.12.2016 व वादी संख्या 6 की मृत्यु काफी पहले हो चुकी है। वादीगण ने उपरोक्त मृतक व्यक्तियों के वारिसान का रिकार्ड पर लेने के संबंध में कोई आवेदन अन्दर अवधि प्रस्तुत नही किया है। इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे की कार्यवाही अबेट हो गई है। प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आवेदन पत्र अदालत द्वारा दिनांक 29.08.2019 को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान को तलब किये जाने व वादी को संशोधित टाईटल पेश करने के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेश की आज तक कोई पालना नही की गई है व वादीगण द्वारा अपने कायम मुकाम प्रार्थना पत्र के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम पेश किये गये है। मात्र दफा 5 सीपीसी पेश करने से छूट नही मिलेगी छूट तब ही मिलेगी जब मृत्यु कोरोना काल में हुई हो। इसलिए वादीगण का वादपत्र कानूनन इस अवस्था में चलने योग्य नही है। वादपत्र अबेट होने से खारिज किये जाने की आदेश प्रदान करें। वकील अप्रार्थी / वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के जवाब के संबंध में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 6 , 7 वादी संख्या 6 की मृत्यु की जानकारी रही है। पूर्व में प्रतिवादी संख्या 6, 7 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित रहे है लेकिन प्रतिवादी संख्या 6 की मृत्यु की जानकारी उनके द्वारा न्यायालय में नहीं दी गई वादीया संख्या 6 की मृत्यु की जानकारी वादीगण द्वारा कोरोना महामारी व ग्रामीण परीवेश से कम पढे लिखे होने व कानून की अनभिज्ञता होने के कारण व दिनांक 07.03.2022 को प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश करने पर जानकारी होते ही मृतकों के वारिसान को तलाश कर न्यायालय श्रीमान की समक्ष मृतक प्रतिवादी संख्या 6 , 7 वादीया संख्या 6 के कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे है। जहां तक दावा अबेट होने का प्रश्न है तो वादीया संख्या 6 की मृत्यु हो जाने से दावा अबेट नही हो सकता है। वादीय संख्या 6 के अलावा भी अन्य वादीगण अपने वादपत्र को कन्टेस्ट कर रहे है तथा वादपत्र में अपने हित है। वादीया संख्या 6 के वारिसान वादी संख्या 1 व 2 पूर्व में ही पक्षकार है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी / प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा दिनांक 07.03.2022 को प्रतिवादी संख्या 6 की मृत्यु दिनांक 25.11.2011, प्रतिवादी संख्या 7 की मृत्यु दिनांक 28.12.2016 वादीया संख्या 6 की मृत्यु 23.01.2013 को हुई है। वकील वादी

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज.

अपने जवाब प्रार्थना पत्र के साथ कायम मुकाम प्रार्थना पत्र व दफा 5 मियाद अधिनियम भी पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु 27.04.2015 जो 7 वर्ष बाद प्रतिवादी संख्या 6 का कायम मुकाम प्रार्थना पत्र 11 वर्ष बाद प्रतिवादी संख्या 7 का कायम मुकाम प्रार्थना पत्र 10 वर्ष बाद वादीया संख्या 6 का कायम मुकाम प्रार्थना 9 वर्ष बाद पेश किया है। वकील वादी ने कायम मुकाम प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पेश किये है। प्रार्थना पत्र के संबंध में निवेदन किया है कि कोरोना काल के कारण कायम मुकाम प्रार्थना पत्र समय पर पेश नही कर सके। लेकिन कोरोना काल वर्ष 2020 में आरम्भ हुआ था। वकील वादी द्वारा उक्त कोरोना काल का आधार लिया है व असंगत है। चूंकि वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ,7 व वादीया संख्या 6 का कायम मुकाम प्रार्थना पत्र काफी लम्बे समय बाद प्रस्तुत किया है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम का युक्तियुक्त कारण नही होने एव मियाद बाहर होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है व प्रस्तुत कायम मुकाम प्रार्थना पत्र भी खारिज किये जाते है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी दिनांक 24.02.2022 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वादपत्र अबेट (उपशमन) होने के कारण खारिज किया जाता है।

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते